राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 16.12.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2013 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 16.12.2013 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री योगेश कुमार, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव(मत्सय एवं पशुपालन); श्री एल. वेंकटेश्वरलू, आई.ए.एस, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री पी. बेहेरा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रुप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री योगेश कुमार, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव(मत्सय एवं पशुपालन); श्री एल. वेंकटेश्वरलू, आई.ए.एस, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री पी. बेहेरा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- माननीय डा0 डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की गरिमामयी अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2013 को सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में लिये गये शाखा विस्तार कार्यक्रम के महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत अभी तक की प्रगति सन्तोषजनक है। दिनांक 01.01.2013 से 30.11.2013 तक कुल -1221- नयी शाखायें खोली गयी हैं। सभी बैंक दिसम्बर 2013 त्रैमास तक के लक्ष्य -2100- की

पूर्ति हेतु प्रयासरत है जिसकी सघन समीक्षा संस्थागत वित्त निदेशालय एवं एस.एल.बी.सी. द्वारा की जा रही है। उन्होने -3000- शाखाओं की स्थापना के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति मार्च 2014 तक करने का **आह्वाह्न** किया तथा बैंको एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों हेतु अनुरोध किया।

- उन्होने बताया कि इस विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के निर्णयानुसार -6- अग्रणी बैंकों के चयनित -12- जनपदों में से -9- जनपदो में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई है। -3- अन्य जनपद जहाँ वांछित प्रगति नहीं हो सकी है, में बैंको द्वारा सघन प्रयास करते हुये मार्च 2014 तक स्वत: निर्धारित लक्ष्यो की पूर्ति हेतु प्रयास किये जाये।
- डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित -78- जनपदो में हमारे राज्य के -6- जनपद भी शामिल है। बैंको व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासो से योजनांतर्गत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आधार संख्या के बैंक खातो के साथ सीडिंग कार्य मे भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से कम आबादी वाले -76855- गांवो में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि जनमानस तक बैंकिग सुविधाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। इस क्रम में भारत सरकार द्वारा लागू **CSC e-Governance Services India Ltd.** के अंतर्गत कार्यरत **Common Services Centers(CSCs)** की महत्वपूर्ण भूमिका है जिन्हे बैंको द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
- बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुये श्री निर्मेष कुमार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान -70000- कार्डस जारी करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी बैंको के सहयोग की अपेक्षा की। नोडल एजेन्सी द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु विभिन्न जनपदों में विशेष क्रेडिट कैम्पस आयोजित करने का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें भी सभी स्टेक होल्डर्स की पूर्ण सहभागिता का अनुरोध किया गया।
- निरंतर अनुरोध एवं अनुश्रवण के बावजूद ऑन-लाइन एस.एल.बी.सी. डाटा प्रेषण में पायी जा रही कमियों तथा जिसके परिणामस्वरुप वास्तविक प्रगति परिलक्षित न हो सकने पर खेद व्यक्त करते हुये उन्होने सभी बैंको द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने का अनुरोध किया।

अंत में श्री निर्मेष कुमार ने सभी सम्बन्धित विभाग प्रमुखो, बैंको व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग व मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये पुन: इस बैठक में स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुये निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राज्य सरकार व बैंको द्वारा संयुक्त रुप से आवशयक कार्यवाही अनिवार्य है ताकि दूसरे चरण में प्रदेश में चयनित -6- जनपदों में यह कार्य सुचारु रुप से किया जा सके. इस सम्बन्ध में एस.एल.बी.सी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी है जो सराहनीय है। विभिन्न स्तरों पर विस्तृत जानकारी एवं भिज्ञता की विशेष आवश्यकता है। उन्होने डी.बी.टी.एल. योजनान्तर्गत प्रदेश में चयनित -3- जनपदो यथा लखनऊ, कानपुर नगर एवं इटावा में निर्धारित कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि दिनांक 01.01.2014 से प्रस्तावित इस योजांतर्गत पात्र लाभ्यार्थियो को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।
- ''स्वाभिमान'' योजना के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले -16388- गावों मे बैकिग सेवाओ के विस्तार का कार्य बैंको द्वारा मार्च 2012 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया गया है। इस क्रम में खोले गये बैंक खातो में `962 करोड़ धनराशि के लगभग 1.80 करोड़ ट्रांजैक्शनस इस योजना की सफलता के परिचायक है। इसी क्रम में 2000 से कम आबादी वाले -76855- गावों मे बैकिग सेवाओ के विस्तार हेतु भी रोडमैप तैयार किया गया है जिसकी अभी तक की प्रगति असंतोषजनक रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार मार्च 2016 तक की अवधि हेतु वार्षिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये गये है। उन्होने मार्च 2014 तक निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आह्वाह्न किया।
- वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रथम छमाही में दर्ज 41% प्रगति का जिक्र करते हुये श्री श्रीनिवास ने कहा कि यद्यपि यह उपलब्धि गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कुल ऋण वितरण व प्रतिशत उपलब्धि मानकों में अधिक

रही है तथापि आवश्यकता इस बात की हैं कि मार्च 2014 हेतु निर्धारित लक्ष्यो की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

- प्रदेश मे अल्प संख्यक समुदाय को प्रदत्त वित्तीय सुविधाओ की प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुये उन्होने अधिक से अधिक ऋण प्रवाह हेतु अनुरोध किया।
- प्रदेश में बैक ऋण वसूली की स्थिति का जिक्र करते हुये उन्होने राज्य सरकार से वांछित सहयोग का अनुरोध किया। उन्होने बताया कि गत 23.11.2013 को पूरे देश में आयोजित लोक अदालतो के माध्यम से बैंक ऋण वसूली के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये है। बैंको द्वारा, राज्य सरकार के सहयोग से इन लोक अदालत में लिये गये निर्णयो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ताकि हमारी ऋण वसूली की स्थिति में व्यापक सुधार दर्ज हो सके।
- आरसेटी संस्थानों हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 65 जनपदो में नि:शुल्क भूमि का आवंटन हो चुका है। संबन्धित बैंको द्वारा इन सभी स्थानो पर लीजडीड निष्पादित करते हुये भूमि पर भौतिक कब्जा करने के उपरांत, भवन निर्माण की प्रक्रिया यथा शीघ्र प्रारम्भ की जाये ताकि यथाशीघ्र योजनांतर्गत वांछित उपलब्धियां हासिल की जा सके।
- शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यो की सघन समीक्षा की जा रही है। यद्यपि, योजनान्तर्गत इस प्रदेश में स्थिति अच्छी है, तथापि बैंको द्वारा सभी पात्र मामलो में शीघ्र निर्णय लेते हुये ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही अपेक्षित है ताकि उच्च शिक्षा हेतु छात्र इस सुविधा से वन्चित न रह जाये।
- किसान क्रेडिट काड़ योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुये श्री श्रीनिवास ने कहा कि इस प्रदेश में प्रगति पूरे भारत वर्ष में एक उच्च स्तर पर है तथा -13- जनपदो में किसान क्रेडिट काड़ संतृप्तिकरण का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होने बैंको से अपील की कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारको को डेबिट कम ए.टी.एम. कार्ड की सुविधा अतिशीघ्र उपलब्ध करायें जो सभी के लिए सहयोगी व लाभप्रद सिद्ध होगा।
- गत 15.01.2013 को सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के दो प्रमुख निर्णयो यथा 3000 नयी बैंक शाखाओं की स्थापना एवं 6 लीड बैंको से सम्बन्धित -12- चयनित जनपदो में मार्च 2014 तक 3% प्वाइंट ऋण जमा अनुपात की वृद्धि हेतु,

बैंक विशेष कार्ययोजना तैयार कर ले ताकि इन दोनो मानको में निर्धारित लक्ष्यो की शत प्रतिशत पूर्ति मार्च 2014 तक सम्भव हो सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में विद्यमान अच्छे माहौल में बैंक व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास प्रक्रिया को नयी दिशा व गति प्राप्त होगी।

श्री आर.एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ. प्र. शासन ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रदेश निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है तथा विभिन्न मानको में व्यापक प्रगति दर्ज की गयी है। प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क, विद्युत, यातायात के साधन आदि में व्यापक विस्तार हुआ है साथ ही नवीनतम तकनीक का समावेशन भी सुनिशचित किया जा रहा है। इसी क्रम में बैंको द्वारा -3000- नयी बैंक शाखाओ की स्थापना निश्चय ही विकास के नये आयाम कायम कर सकेगी। उन्होने मत व्यक्त किया कि इस प्रदेश के विकास का व्यापक असर देश के विकास पर परिलक्षित होता है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे कतिपय आधारभूत सुविधाओ व अवस्थापनाओं की महसूस की जा रही कमी का उल्लेख करते हुये उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार के स्तर से सभी सम्भव सहायता व सहयोग निरन्तर उपलब्ध कराया जाता रहेगा। उनके कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया जा रहा है जो विद्युत, कनेक्टिविटि, सुरक्षा व अन्य सम्बन्धित बिन्दुओ पर बैंको द्वारा महसूस की जा रही समस्याओ के शीघ्र निराकरण हेतु प्रयास करेगे।

डी.बी.टी. योजना का उल्लेख करते हुये प्रमुख सचिव महोदय ने इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इस योजनांतर्गत लभ्यार्थियो को प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओ का लाभ सीधे उनके खाते में पहुँच जायेगा जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा विगत लम्बे समय से प्रदेश में प्रयास किया जा रहा था।

किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता का उल्लेख करते हुये उन्होने बताया कि सम्भवत: हमारे प्रदेश में ही इस योजना की परिकल्पना की गयी थी जो कॉपरेटिव बैंको के माध्यम से प्रारम्भ की गयी। यही कारण है कि हमारे प्रदेश की स्थिति काफी सुदृढ़ एवं सराहनीय

है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत ए.टी.एम. कार्डस जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी है जो निश्चय ही किसानो के लिये लाभकारी होगी तथा इस योजना की लोकप्रियता को बढ़ायेगी।

बैंक अतिदेयो की वसूली व राज्य सरकार से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओ पर उन्होने बैंको व वित्तीय संस्थाओ को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया क्योकि प्रदेश के विकास में बैंकर्स की महती भूमिका है।

श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया :-

- दिनांक 15.01.2013 को डा0 डी सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता मे सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में मार्च 2014 तक कुल -3000- नयी शाखाओं की स्थापना हेतु जो लक्ष्य तय किया गया है उसकी समयबद्ध कार्यक्रमानुसार पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये। यद्यपि बैंको द्वारा प्रारंभ में अच्छा कार्य करते हुये लगभग 1200 शाखाओ की स्थापना की गयी है परंतु वर्तमान में यह गति धीमी पड़ गयी है। अत: बैंको के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। आधारभूत सुविधाओ की उपलब्धता व क्नेक्टिविटि जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर सम्बन्धित विभागो से सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत बैको के नियंत्रण कार्यालयों द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 हेतु डिसएग्रीगेशन प्लान तैयार कर उसकी शाखावार फॉंट किया जाना अपेक्षित है। बैंको द्वारा यह कार्य करते हुये वार्षिक आधार पर तय लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु प्रभावी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- आई.सी.टी. बेस्ड बी.सी. मॉडल की सफलता हेतु कतिपय बैंको के एफ.आई. सर्वर एवं सी.बी.एस. सर्वर का इंटीग्रेशन न हो सकने के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे है। सम्बन्धित बैंकों द्वारा इस समस्या का तुरंत निदान आवश्यक है।

- डी.बी.टी. योजनान्तर्गत विभिन्न सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के लाभ्यार्थियों के खातो में सीधे धनराशि समायोजित किये जाने हेतु यह आवश्याक है कि सी.बी.एस. में विभिन्न कार्यक्रमों हेतुइ "प्रोडक्ट कोड" आवंटित किये जाने चाहिये। इस कार्य हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का बैंको द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि धनराशि का आहरण सीधे खाते मे हो सके तथा इनऑपरेटिव/ डॉरमेंट खातो की समस्या न रहें।
- अग्रणी जनपदों में डी.सी.सी/ डी.एल.आर.सी. बैठकों के आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाना अपेक्षित है ताकि यह बैठके निर्धारित समयावधि व तिथि पर सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो सकें। उन्होने संस्थागत वित्त निदेशालय से इस सम्बन्ध मे जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया।
- अग्रणी बैंक योजनांतर्गत विभिन्न एल.बी.एस. विवरणियों के निर्धारित अंतराल पर प्रेषण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित विभिन्न ई-मेल का उत्तर बैंको के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समय से दिया जाना चाहिये ताकि वांछित सूचना प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सके।
- करेंसी मैनेजमेंट मामलों मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशो का अनुपालन आवश्यक है ताकि बेहतर ग्रहक सेवा प्रदान की जा सके। इस क्रम में नियामक बैंक द्वारा जारी स्कीम का बैंको द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। साथ ही करेंसी चेस्टों द्वारा कैश के मूवमेंट पर निगरानी आवश्यक है जिसका अधिकार बैंको को दिया गया है।
- उन्होने अवगत कराया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठकों में राज्य सरकार द्वारा बैंको को कैश मूवमेंट से सम्बन्धित विभिन्न कार्य हेतु आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया है

श्री पी. बेहेरा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया :-

- नाबार्ड द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु विभिन्न जनपदों में पोटेन्शियल लिंक्ड प्लान (पी.एल.पी.) सृजन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा माह जनवरी 2014 में इसका

विमोचन प्रस्तावित है। इसके आधार पर जनपदवार वार्षिक ऋण योजना 2014-15 तैयार करने हेतु बैंकों के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

- नाबार्ड द्वारा लगभग `2200 करोड़ धनराशि का आवंटन रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट हेतु किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से सिंचाई, सड़क व अन्य प्रोजेक्ट हेतु इस धनराशि के उपयोग हेतु अनुरोध किया है।
- नाबार्ड द्वारा प्रदेश में कार्यरत -31- आरसेटीज़ संस्थानों को ग्रेडिंग के आधार पर ग्रांट असिस्टेंस उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व कोआपरेटिव बैंकों द्वारा स्थापित -115- एफ.एल.सी. केन्द्रों को भी नाबार्ड द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग अपेक्षित है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से लागू करने हेतु रामपुर जनपद में एक पायलेट प्रोजेक्ट किया गया है। इसकी सफलता के आधार पर इन बैंकों द्वारा इस योजना में सहभागिता प्रस्तावित है।
- स्वयं सहायता समूह – बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा आवंटित लक्ष्य तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यक्रम में जहाँ एक ओर कुछ बैंकों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ बैंकों का योगदान नगण्य है। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु उन्होंने सभी बैंकों के सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि प्रदेश के -8- चयनित जनपदों (जिसमें से -3- नकसल प्रभावित जनपद है) में महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु एक वृहद कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं। एक तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न बैंकों द्वारा इन समूहों के दस्तावेज़ीकरण में विभिन्न दर से स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। श्री बेहेरा ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि देश के विभिन्न प्रदेशों यथा उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू इत्यादि में स्टाम्प शुल्क की पूर्णतः माफी हेतु लागू योजना के आधार पर, अपने प्रदेश में भी ऐसी योजना लागू करने पर विचार किया जाये ताकि इस कार्यक्रम को व्यापक गति प्रदान की जा सके।
- नाबार्ड द्वारा कृषक क्लबों के संचालन हेतु बैंकों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने नये कृषक क्लबों की स्थापना तथा पुराने क्लब के पुनरोत्थान हेतु बैंकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही का आह्वाह्न किया।

- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सी.एल.एस.एस.), हैण्डलूम सेक्टर तथा वेयरहाउसिंग सेक्टर हेतु नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु बैंकों का **आह्वाहन** किया गया ।
- भूलेखों के कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित लागू पायलेट प्रोजेक्ट जो प्रदेश शासन द्वारा जनपद बाराबंकी में लागू किया गया है, की सफलता की जानकारी की अपेक्षा करते हुए उन्होंने इसे अन्य जनपदों में लागू किये जाने का अनुरोध किया।
- प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में लागू "हरित क्रांति योजना" के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह में वृद्धि की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फार्म मशीनीकरण व छोटे-छोटे कृषि यंत्रों को बढावा देने के उद्देश्य से बैंकों के स्तर से प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।
-

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरान्त पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 1:- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 23.08.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

विगत बैठक दिनांक 23.08.2013 का कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 31.08.2013 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या 2:- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 23.08.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट</u>

(I) **<u>प्रदेश के सभी जनपदो में बैको द्वारा आरसेटी संस्थानों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन</u>**

चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल -65- जनपदों में नि:शुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि -10- अन्य जनपदों में भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। निदेशक, संस्थागत वित्त, श्री शिव सिंह यादव ने इस प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया।

(II) **<u>आरसेटीज की व्यापक समीक्षा हेतु उप समिति का गठन</u>**

विगत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि एस.एल.बी.सी. की उपसमिति का गठन महाप्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक के समन्वय में किया गया है। इस उपसमिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 12.11.2013 को पंजाब नैशनल बैंक द्वारा किया जा चुका है जिसमें आरसेटीज संस्थानों की स्थापना, क्रमिक प्रगति व विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गयी।

(III) **<u>मार्च 2014 तक प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओ की स्थापना एवं ऋण जमा अनुपात में मार्च 2013 के स्तर पर 3 प्रतिशत प्वाइंटस की वृद्धि</u>**

इन दोनो ही मानको में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार 01.01.2013 से 30.11.2013 तक कुल -1221- शाखायें बैंको द्वारा खोली जा चुकी है। -6- चयनित जनपदों में ऋण जमा अनुपात में दर्ज की जा रही वृद्धि का उल्लेख करते हुये विश्वास व्यक्त किया गया कि बैको, राज्य सरकार एवं सभी स्टेक होल्डर्स के संयुक्त प्रयासों से सभी लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेगें जिसके लिये समग्र प्रयासों की आवश्यकता है।

(IV) **<u>राज्य के -6- चयनित जनपदो में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) स्कीम का क्रियान्वयन</u>**

सदन को अवगत कराया गया कि डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित -78- जनपदो में हमारे राज्य के -6- जनपद शामिल है। बैंको द्वारा विभिन्न मानकों में सराहनीय प्रगति दर्ज की गयी है। केवल आधार सीडिंग कार्य में गति लाने की आवश्यकता है जिसके लिए सम्बन्धित यू.आई.डी.ए.आई. के स्तर पर तेजी लाना अपेक्षित है।

(V) **<u>बैंक देयों की वसूली</u>**

सदन को अवगत कराया गया कि विगत बैठक के निर्णयानुसार संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके है। बैंको द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित वसूली बैठकों व राज्य स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा आयोजित बैठकों में बैंको द्वारा सहभागिता कर, क्रानिक मामलो पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

यह भी बताया गया कि कतिपय जनपदों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग द्वारा वापिस किया जा रहा है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

कार्यसूची संख्या 3:- <u>वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत प्रगति</u>

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से अधिक व 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार की विस्तृत स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। 2000 से कम आबादी वाले चयनित -76855- गॉवों मे बैंकिंग सुविधाओ के प्रसार हेतु बैंको द्वारा बोर्ड एप्रूव्ड प्लान (वार्षिक आधार पर) तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जा चुके है। वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य -31726- के सापेक्ष त्रैमास सितम्बर 2013 तक -6029- गॉवों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है। श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकर्स का आह्वाहन किया कि मार्च 2014 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशपूर्ति हेतु सतत प्रयास करें। इसी क्रम में श्री पी. बेहेरा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत काराया कि कोऑपरेटिव बैंको द्वारा भी वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

डी.बी.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित -6- जनपदों यथा इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), चित्रकूट व श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), संत कबीर नगर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) एवं रायबरेली व अमेठी (बैंक ऑफ बडौदा) में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा की गयी। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत बायोमेट्रिक एनरोलमेंट हो गये है, लाभ्यार्थियों के खाते खुल गये है तथा उन्हें डेबिट कार्ड भी जारी किये जा रहे हैं। अभी तक -10206- खातों में आधार कार्डस की सीडिंग हुई है। इन जनपदों मे बैंको द्वारा स्थापित किये जाने वाले ए.टी.एम. केन्द्रों की स्थिति स्पष्ट करते हुये, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बचे हुये केन्द्रो पर इनकी स्थापना हेतु बैंको से अनुरोध दोहराया गया।

इस क्रम में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने अवगत कराया कि UIDAI द्वारा आधार नम्बर की सूची मिलनेमे होने वाले विलम्ब के कारण खातों में आधार सीडिंग में विलम्ब हो रहा है तथा आश्वस्त किया कि सूची मिलने के उपरांत आधार सीडिंग की प्रक्रिया बैको द्वारा पूर्ण की

जाती रहेगी। डी.बी.टी.एल. योजनान्तर्गत प्रदेश के -3- जनपद यथा कानपुर नगर (बैंक ऑफ बड़ौदा), लखनऊ (बैंक ऑफ इण्डिया) एवं इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) चयनित किये गये है जिनमें यह कार्य 1 जनवरी 2014 से प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है। श्री पी. के. अग्रवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, यू.आई.डी.ए.आई. ने सदन को विस्तृत स्थिति से अवगत कराया।

कार्यसूची संख्या 4:- <u>हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन</u>

योजनांतर्गत अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु योजनांतर्गत -70000- कार्डस जारी करने का संशोधित लक्ष्य तय किया गया है जिसका आवंटन सभी बैको को किया जा चुका है। इसी क्रम में नोडल ऐजेंसी द्वारा कुछ क्लस्टर भी चयनित किये गये है जिनमें -85- विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम तय कर सभी सम्बन्धित को सूचित कर दिया गया है। श्री वी. के. दुबे, विशेष सचिव (लघु उद्योग), उ.प्र. शासन ने अवगत कराया कि नोडल विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रो के सापेक्ष विभिन्न जनपदों की बैंक शाखाओं में लगभग -28000- ऋण आवेदन पत्र लम्बित पड़े है जिनका शीघ्र निस्तारण आवश्यक है।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. एवं श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने नोडल विभाग द्वारा जनपदवार/ बैंकवार सूची बैंकों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि बैंको द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा सके।

इसी क्रम में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना की विस्तृत समीक्षा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के साथ नियमित रूप से की जा रही है। इस योजना की महत्ता के दृष्टिगत बैंको द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना चाहिये। चर्चा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदेश में पावरलूम हथकरघों व बुनकरों की संख्या अधिक है तथा हैण्डलूम सेक्टर के अंतर्गत

लाभ्यार्थियों की संख्या काफी कम है। सम्भवत: इसी कारणवश, योजनांतर्गत वांछित प्रगति सम्भव नही हो पा रही है।

कार्यसूची संख्या 5:- <u>वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रगति समीक्षा</u>

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत सितम्बर 2013 तक बैंको द्वारा दर्ज की गयी कुल प्रगति 40.83% रही है जो विगत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि (37.40%) की तुलना में अधिक है। सेक्टरवार कृषि, लघु उद्यम एवं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज प्रगति क्रमश: 37.79%, 65.06% व 33.25% रही है।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रगति में सुधार की आवश्यकता है ताकि उनके योगदान से प्रदेश का कुल उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाया जा सके।

श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुये इसमें व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता बताई।

श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करने का आह्वाह्न किया।

श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने अवगत कराया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अभी तक की प्रगति 73.50% है।

श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने कुछ ऐसे बैंकों जिनकी उपलब्धि प्रदेश स्तरीय औसत प्रगति से कम रही है, से इसके कारण जानने चाहे तथा उनसे आगामी तिमाही में वार्षिक ऋण योजना में सुधार का अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 6:- <u>ऋण जमा अनुपात</u>

बैठक में ऋण जमा अनुपात की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सितम्बर 2013 तक का ऋण जमा अनुपात

विगत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष क्रमश: 6.92% व ऋण : निवेश + जमा अनुपात 6.56% बढ़ा है।

चर्चा के दौरान श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुसार डाटा रिपोर्टिंग का अनुरोध दोहराया जिसके अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत ऐसी इकाईयां जिनका ऋण स्वीकृत किसी दूसरे प्रदेश के बैंको द्वारा किया गया है, का विवरण अपने प्रदेश की उपलब्धि में सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा इसका उचित वर्गीकरण किया जाये। श्री पसरीचा ने आगे कहा कि यद्यपि ऋण जमा अनुपात 54.12% के स्तर पर पहुँचा है तथापि कुछ बैंकों का ऋण जमा अनुपात प्रदेश के औसत स्तर से काफी कम है। साथ ही अनेक ऐसे जनपद है जहाँ ऋण जमा अनुपात 20 से 30% की रेंज में है। निश्चय ही इस कार्य की समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समंवय मे एक उप-समिति गठित है तथा इसकी नियमित बैठके भी होती है परंतु उपसमिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों की जानकारी नही मिल पाती। उन्होने अपेक्षा की कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियाँ, त्रैमासिक आधार पर सम्पन्न बैठकों की रिपोर्ट व प्रगति एस.एल.बी.सी. को प्रस्तुत करें ताकि एस.एल.बी.सी. इसका संज्ञान ले सके एवं एस.एल.बी.सी. की बैठको में अद्यतन स्थिति की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। साथ ही सभी बैंकों द्वारा ऋण जमा अनुपात में क्रमिक वृद्धि दर्ज करते हुये इसे प्रदेश के औसत स्तर तक लाना चाहिये। आधारभूत सुविधाओं व अन्य आवश्यकताओं हेतु राज्य सरकार के सहयोग की अपेक्षा की गयी।

श्री एस. के. वर्मा, उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदेश के चयनित 12 जनपदों में मार्च 2014 तक ऋण जमा अनुपात मे 3% प्वाइंट स्तर वृद्धि लाने की अपेक्षा की।

श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निर्देशित किया कि विभिन्न बैंको के समन्वय में गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सभी उप समितियों द्वारा दर्ज त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को एस.एल.बी.सी. बैठको में नियमित रुप से प्रस्तुत किया जाये।

कार्यसूची संख्या 7:- <u>प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा</u>

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय में एक उप-समिति गठित है जिसकी नियमित बैठकों में योजना की प्रगति समीक्षा की जा रही है। उप-समिति की अभी तक -6- बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

सदन को अवगत कराया गया कि इस योजनान्तर्गत हमारे प्रदेश में अच्छी उपलब्धि दर्ज की गयी है तथा एक मूल्यांकन/ अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इन जनपदों में कृषि उत्पाद व उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गयी है।

कार्यसूची संख्या 8:- <u>किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सभी पात्र परंतु वंचित किसानों को आच्छादित किया जाना</u>

योजनांतर्गत प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने कृषि विभाग द्वारा जनपदवार/ बैंकवार लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया ताकि आकडों का मिलान एवं सही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

डॉ. आर. के. गुप्ता, सयुंक्त निदेशक (कृषि) उ.प्र. ने बताया कि प्रदेश के लगभग 79% किसान फसली ऋण /किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभांवित हो चुके है तथा बैंको के सहयोग से योजनांतर्गत अच्छी प्रगति दर्ज हुई है। कुछ जनपदों में परिलक्षित शिथिल प्रगति में सुधार हेतु कृषि विभाग द्वारा बैंकों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या 9:- <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंको की सितम्बर 2013 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

श्री वी. के. दुबे, विशेष सचिव (लघु उद्योग), उ.प्र. ने बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं को सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजनान्तर्गत कवरेज करने पर बल दिया।

श्री बी. आर. पटेल, सहायक महाप्रबन्धक (एस.एल.बी.सी.) ने अवगत कराया कि इस योजनांतर्गत हमारे प्रदेश की प्रगति सबसे बेहतर है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पष्ट किया कि इस योजनांतर्गत `10.00 लाख तक व `10.00 लाख से `1.00 करोड तक के ऋणो हेतु सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजनान्तर्गत कवरेज के स्पष्ट निर्देश बैंको द्वारा निर्गत है जिनका अनुपालन शाखाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

कार्यसूची संख्या 10:- <u>साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह</u>

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह योजनाओं के अंतर्गत अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि इस योजना में सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिये ताकि गरीब एवं कमजोर वर्ग़ को साहुकारों से मुक्ति दिलायी जा सके। श्री पी. बेहेरा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कुछ बैंकों की 'शून्य' प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया।

कार्यसूची संख्या 11:- <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनांतर्गत व गैर निष्पादक आस्तियो के अंतर्गत ऋण वसूली की स्थिति</u>

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदत्त सहयोग की सराहना सदन द्वारा की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया।

इस बैठक के अध्यक्ष श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंको द्वारा आगामी माह में अधिक से अधिक संख्या में ऋण वसूली कैम्पस आयोजित करने की आवश्यकता बतायी तथा प्रदेश शासन से वांछित सहयोग का अनुरोध किया।

श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने सदन को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सभी सम्भव सहयोग प्रदान किया जायेगा ताकि बैंको की ऋण वसूली की स्थिति में व्यापक वृद्धि दर्ज हो सके।

कार्यसूची संख्या 12:- <u>अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता</u>

प्रदेश में कार्यरत बैकों की सितम्बर 2013 तक की प्रगति समीक्षा प्रस्तुत की गयी। साथ ही चयनित -21- जनपदों की विस्तृत सूचना प्रेषण हेतु बैंको से अनुरोध किया गया।

चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऐसे ऋण, जो "लिमिटेड कम्पनियो" को दिये गये है तथा जिनके प्रमोटर अल्पसंख्यक समुदाय के है, वह अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण के रुप में शामिल नहीं किये जायेगे। परन्तु यदि पार्टनरशिप कम्पनी को ऋण दिया गया है और उसके पार्टनर अल्पसंख्यक समुदाय के है तो वह ऋण स्वत: ही इस योजना की परिधि में आ जायेगें। बैंको से सही डाटा रिपोर्टिंग हेतु भी अनुरोध दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या 13:- <u>स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)</u>

प्रदेश में कार्यरत सभी बैकों की आलोच्य अवधि एवं योजना के प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 14:-<u>विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोज़गारपरक कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा</u>

(क) <u>स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY):</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी जिसके अंतर्गत समूहों व व्यक्तिगत स्वरोज़गारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने से अवगत कराया गया।

इसी क्रम में प्रदेश में स्थापित आरसेटी संस्थानो में राज्य सरकार द्वारा आवंटित नि:शुल्क भूमि आवंटन की अद्यतन स्थिति का संज्ञान लिया गया जिसके अनुसार कुल -65- जनपदो में यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा शेष -10- जनपदों यथा सुल्तानपुर, मैनपुरी, आगरा, ललितपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, मुरादाबाद, सम्भल एवं हापुड़ में यह प्रक्रिया शेष है। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) तथा निदेशक (संस्थागत वित्त) ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के स्तर से इन जनपदों के विकास प्राधिकरणो को लिखा जाना चाहिये तथा विशेष बिन्दुओ पर चर्चा एवं समस्या के समाधान हेतु प्रदेश मुख्यालय पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया जा

सकता है। मुख्य प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक ने बताया कि कतिपय जनपदो में -33- वर्ष हेतु लीज डीड निष्पादन कराने पर बैंको द्वारा बड़ी धनराशि का स्टाम्प शुल्क देना पड़ रहा है जबकि 29 वर्ष की लीज डीड कराने पर स्टाम्प शुल्क की छूट है। उन्होने इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया। श्री शिव सिह यादव, निदेशक (संस्थागत वित्त) ने कहा कि इस प्रकार की समस्या के निदान हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशो में संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उल्लेख किया कि आरसेटी संस्थानो के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा नियमित आधार पर बैंको के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशको के साथ सघन समीक्षा की जा रही है। अत: बैंको द्वारा इन संस्थानो की बिल्डिंग निर्माण, ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन, स्टॉफ की उपलब्धता आदि विभिन्न मानकों की पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये ताकि इन संस्थानों की ग्रेडिंग मे सुधार होता रहे।

सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देशानुसार एफ.एल.सी. मैटीरियल के प्रिंटिग एवं डिस्ट्रीब्युशन हेतु एस.एल.बी.सी. द्वारा गठित बैंको की एक समिति के माध्यम से कार्यवाही पुन: प्रारम्भ की जा चुकी है।

(ख) <u>स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही की प्रगति समीक्षा की गयी।

(ग) <u>प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही की प्रगति समीक्षा की गयी।

चर्चा के दौरान श्री सर्वेश्वर शुक्ला, उप निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर ने सदन को अवगत कराया कि विभाग द्वारा इस योजना के सफल संचालन हेतु बैठक आयोजित कर एक कार्य योजना तैयार की गयी जिसे एस.एल.बी.सी. के माध्यम से सभी सम्बन्धित को

प्रेषित किया गया था। उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि इस कार्य योजनानुसार आवंटित लक्ष्यो के सापेक्ष ऋण स्वीकृति, वितरण एवं नोडल शाखा को मार्जिन मनी क्लेम का प्रेषण करते हुए मार्जिन मनी प्राप्त करने की कार्यवाही दिसम्बर माह मे पूर्ण कर लिया जाये।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोडल एजेंसी से अनुरोध किया कि वे जनपदवार, बैंकवार/ शाखावार लम्बित आवेदन पत्रो की सूची एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करा दे ताकि उनके स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सके। साथ ही शत प्रतिशत लक्ष्यो की पूर्ति हेतु बैंको द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये।

(घ) <u>सघन मिनी डेयरी परियोजना (SMDP):</u>

इस योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। डा0 मोहन स्वरुप, महाप्रबन्धक, सघन मिनी डेयरी परियोजना ने बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग की सराहना की।

(च) <u>विशेष समन्वित योजना</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समीक्षा के दौरान श्री वी. सी. श्रीवास्तव, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अवगत कराया कि बैंकों में काफी संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं जिनका शीघ्र निस्तारण बैंकों के सहयोग से किया जाना अपेक्षित है।

श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) ने अवगत कराया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त बैंकवार मासिक प्रगति रिपोर्ट सभी बैंकों को हमारे माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नोडल विभाग द्वारा जनपदवार, बैंकवार/ शाखावार सूचना उपलब्ध करायी जाये ताकि ऑकड़ो का मिलान तथा लम्बित आवेदन पत्रो का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

(छ) <u>मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही की प्रगति समीक्षा की गयी।

(ज) <u>पशुपालन एवं कुक्कुट पालन योजनायें</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही की प्रगति समीक्षा की गयी।

इन -2- योजनाओ के क्रियान्वयन से सम्बन्धित चर्चा प्रारम्भ करते हुये श्री योगेश कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (पशुपालन एवं मत्स्य), उ.प्र. ने प्रदेश शासन द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होने अवगत कराया कि शासन द्वारा "उ.प्र. कुक्कुट पालन नीति, 2013" एवं "कामधेनु योजना" तैयार की गयी है। योजनांतर्गत लाभ्यार्थियों को इन्ट्रेस्ट सबवेन्शन का लाभ, स्टाम्प शुल्क व मण्डी टैक्स में छूट, जमीन क्रम हेतु रियायत इत्यादि की सुविधाऐं प्रदान कर इन योजनाओं को आकर्षक बनाया गया है। परन्तु बैंकों के स्तर से कुछ समस्यायें निरंतर बनी हुई है जैसे कि ऋण सुविधा हेतु संपार्शविक प्रतिभूति की मांग, मार्जिन मनी को फिक्स डिपाजिट के रूप में रखना, भूमि बन्धक की मांग, 0.5% से 2.00% दर से प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाना, विभिन्न बैंको द्वारा विभिन्न ब्याज दरें आदि। इन समस्याओं के चलते कुक्कुट पालन योजना के सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

वहीं दूसरी ओर कामधेनु योजनान्तर्गत ऐसी समस्यायें महसूस नही की जा रही है, केवल आवेदन पत्रो के निस्तारण में तेजी लाने की आवश्यकता है।

श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि :-

- यह ऋण सुविधायें प्रत्यक्ष कृषि ऋण की श्रेणी में आती है तथा बैंको द्वारा कुल कृषि ऋण के निर्धारित मानक (18%) की पूर्ति हेतु बैंको द्वारा प्रयास किये जा रहे है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें एवं प्रोसेसिंग चार्जेस हेतु बैंको को स्वायत्ता प्रदान की गयी है जो बैंको की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अत: लाभ्यार्थियों द्वारा ऋण सुविधा हेतु अपनी सुविधानुसार अपने पसन्द के बैंक का चयन किया जा सकता है।
- उत्पाद की मार्केटिंग, पशु चिकित्सा सुविधाओं एवं इन्श्योरेन्श जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित रहेगा।
- उन्होने बैंको का **आह्वाह्न** किया कि प्रदेश सरकार द्वारा की गयी इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठायें ताकि जहाँ एक ओर लक्ष्य समूह को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके वही दूसरी ओर कृषि व्यवसाय वृद्धि का लाभ प्राप्त किया जा सके।

श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) ने अवगत कराया कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय में बी.जी.आर.ई.आई. पर गठित उप समिति द्वारा इन योजनाओं की समीक्षा भी की जानी चाहिये तथा इस उप-समिति का दायरा बढ़ाया जाये।

कार्यसूची संख्या 15:- <u>भारत सरकार की नवीन योजनायें</u>

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित नवीन योजनाओं तथा एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिज़नेस केन्द्र, ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचलित योजना की अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 16:- <u>शिक्षा ऋण</u>

एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा करते हुए श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि हमारे प्रदेश में योजनांतर्गत दर्ज प्रगति में और सुधार की गुंजायश है तथा बैंको द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा ऋण योजना के बेहतर प्रचार-प्रसार व मार्केटिंग की आवश्यकता पर बल दिया क्योकि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित शीर्ष प्राथमिकता प्राप्त योजनाओ में से एक है।

कार्यसूची संख्या 17:- <u>बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले</u>

सदन को अवगत कराया गया कि इस त्रैमास में तीन घटनाऐ घटित हुई जो सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी। केसवार चर्चा के दौरान श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

कार्यसूची संख्या 18:- <u>अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से</u>

निम्न -3- बिन्दु सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये:-

1. भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पत्र दिनांक 06.11.2013 के माध्यम से M/S Unity Educational & Welfare Programme for Minorities, Husainabad का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक अमुदाय के विद्यार्थियो को वजीफे के भुगतान हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित सभी बैंको द्वारा जीरो बैलेंस खाते खोलने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. सदन को अवगत कराया गया कि तत्सम्बन्धी निर्देश विद्यमान है तथा बैंको द्वारा इन निर्देशो का कडाई से पालन किया जाना चाहिये।

3. पशुपालन विभाग, उ.प्र. शासन के पत्र दिनांक 11.12.2013 के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लागू UP Poultry Development Policy 2013 के अन्तर्गत विशेष योजना के क्रियांवयन हेतु इसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पटल पर चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाये।

   उल्लेखनीय है कि बैठक के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी।
4. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 11.12.2013 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि सब सर्विस एरिया प्लान की रिपोर्टिंग हेतु MIS Reporting System मे संशोधन किया गया है तथा नये तैयार किये गये सॉफटवेयर के माध्यम से देश के सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको को यह डाटा अपलोड करना है। यह सॉफटवेयर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की साईट http://financialservices.gov.in/ssa/default.aspx पर उपलब्ध है।

सभी बैंको से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया क्योंकि योजनांतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से माह जनवरी 2014 में समीक्षा प्रस्तावित है।

बैठक के अंत में श्री ए. के. रायज़ादा, उप महाप्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैठक में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 16.12.2013 को आयोजित बैठक की कार्यबिन्दु

SN	Issue	Latest Position	Required Action
1.	**Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in remaining -10- Districts of the State.**	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -65- Districts so far. During the Meeting it was deliberated by the State Government that the State Govt. is in the process of allotment of land in remaining -10- Districts. However, due to certain constraints, the allotment process is getting delayed. It was also advised that in respect of -65- Districts the Banks must start the process of getting the lease execution, MoU and construction of the building etc. so that the RSETIs may start functioning in its own building and the very purpose of RSETIs is served	As discussed during the Meeting, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in remaining -10- Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. All the Lead Banks are also requested to ensure that the necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that the RSETIs may start functioning in their own buildings at the earliest. **(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & the Lead Banks)**
2.	**Setting up of RSETIs in all remaining Districts of the State**	During the Meeting it was observed by the house that -3- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts as per resolution of the SLBC. Viz. Punjab National Bank (Badaun, Jhansi & Shamli), Syndicate Bank (Sambhal & Hapur) and Bank of India (Lucknow)	All the -3- Lead Banks are requested to establish the RSETIs in their respective Lead Districts at the earliest **(Action : Punjab National Bank, Syndicate Bank & Bank of India)**
3.	**Opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level**	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level.	The Banks are required to follow up the set deadline to achieve the quarterly & in turn annual targets upto March 2014. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint

		It was informed that as many as -1221- new B&M Branches have been established by various Banks in the State. The house was also informed that the DIF, GoUP and SLBC (UP) are periodically reviewing the progress with all concerned and special Meetings have also been organised for the purpose. As at September 2013 the CD Ratio of -9- out of -12- identified Districts has shown increase over the March 2013 level where as -3- Districts viz. St. Kabir Nagar (SBI), Jhansi & Bulandshahr (PNB) are showing negative growth	endeavour, Banks must obtain all necessary support from the District /State authorities. It is also desired that the Monthly and Quarterly progress is advised to the DIF, GoUP & SLBC (UP) on regular basis by all Banks so that the State progress may be highlighted at various forums. Banks must endeavour to achieve the set goals for bringing in increase in the CDR as per commitments made to RBI, GoI & State Govt. **(Action : All Banks & State Government)**
4.	**Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) as well as Direct Benefit Transfer –LPG (DBTL) Schemes.**	-6- Districts of the State viz. Amethi & Raebareli (BOB), Etawah (CBI), Chitrakoot & Shrawasti (AB) and St. Kabir Nagar(SBI) have been identified for implementation of DBT Scheme w.e.f. 01.07.2013. Similarly, -3- more Districts viz. Kanpur Nagar (BoB), Lucknow (BoI) & Etawah (CBI) have been identified for implementation of DBTL Scheme w.e.f. 01.01.2014. Regular review is being done by Banks & SLBC and also at Govt. of India level. Various steps required for successful implementation of these schemes have been taken by stake holders. However, more vigorous efforts are required to be made by the Banks and other agencies viz. UIDAI, Census Directorate and the BME Agencies to accompanish this task .	All Banks and the State Govt. are required to implement the DBT and DBTL Schemes in latter & spirit by fulfilling all the requirements viz. opening of Beneficiary Accounts, issuance of Debit Cards, Seeding of Aadhaar Number with the beneficiary account and installation of onsite ATMs etc. at all branches in these identified Districts. **(Action : All Banks & State Government)**
5.	**Periodical reporting of the progress attained by different Sub-Committees of SLBC (UP)**	As per the guidelines of revised Lead Bank Scheme, different Sub committees of SLBC on various subject matters are constituted in our State with its convenership to different Banks viz. Union Bank of India (on CD Ratio & BGREI), State Bank of India (on FIP), Punjab National Bank (on RSETI) & Bank of Baroda (on NRLM & SHGs). During the discussions in the Meeting, it has been pointed out that although the Sub committees are regularly conducting the Meetings however the out come thereof and the recommendations are not been advised during the SLBC Meetings. Hence, there is a need to place the progress and recommendations of the sub committes during the SLBC Meeting interalia mentioning the developments during the quarter.	The convener of all these sub committees are requested to act as per the direction of SLBC & the report on the quarterly Meetings with progress and recommendations should be submitted to SLBC in advance of the proposed Meetings. **(Action : Union Bank of India, State Bank of India, Punjab National Bank & Bank of Baroda)**

Follow up of Action Points emerged during SLBC Meeting dated 16th December 2013

(Annexure to letter no. EUPZ/40/SLBC/Sept 2013/ dated 06.01.2014)

Sr. No.	Issues	Action Required
1	**Financial Inclusion Plan** Making full use of Ultra Small Branches (USBs) Coverage of villages having population below 2000 and achievement of targets as set under the disaggregation plan of RBI	• Regular visit by Link Branch officers on a prefixed day and time along with Laptops. • Regular visit of BCs to villages and providing the Banking Services as prescribed • Mobilizing applications for various products. • The set targets under various parameters of -46- column RBI Disaggregation plan must be achieved as per allocation upto March 2014. • The quarterly data on Annexure 'B' in respect of all Banks(Lead District wise) must be submitted online for true reflection of the performance made by the Banks in the State. • Monitoring of transactions made in FI accounts and its proper reporting. • The Sub Committee on FI constituted under the convenership of Chief General Manager, State Bank of India to prepare and submit the quarterly progress report of the Sub-Committee to SLBC for presentation during the Meetings.
2	Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme in -6- identified Districts & Direct Benefit Transfer, LPG (DBTL) in -1- identified Districts	• The opening of Beneficiary Accounts, issuance of Debit Cards, Seeding of Aadhaar Number with the beneficiary account and installation of onsite ATMs at all branches in these identified Districts is to be ensured by the Banks. • In the pilot District – Etawah for the DBTL, the Banks should ensure providing the due cooperation to the oil companies. • All Banks to provide the necessary support and data to the LDMs concerned for the data consistency & accuracy. • Wherever required, the Aadhaar seeding issue may be taken up with UIDAI/ State Govt./ District Authorities for Urgent resolution of the same.
3	Branch Expansion Plan to open -3000- new Brick & Mortar Branches as per quarterly targets.	• All Banks to ensure opening of the new B&M Branches as projected in the Roadmap upto March 2014 and commitments made during SLBC Meetings. • The specific issues, if any, related to change of center may be taken up at District level DCC forum for resolution. • The Monthly reporting of data /progress in respect of all Banks operating in the Districts must be made by the LDMs on Praroop-3 to DIF, SLBC and all concerned by 3rd of every month for the preceding month. • The data of new branches opened in the Districts should be made available to LDM by concerned Banks. • During the branch opening programmes, the Local MP/ Public Representatives should be invited as per extant guidelines of MoF, GoI.
4	Implementation of Revival, Reforms & Restructuring package for Handloom Sector & Financing for Weavers' Credit Card (WCC)	• To actively participate in the Credit Camps being organized by the Nodal Agency – ADI (Handlooms) at Districts/ identifies Clusters. • The waiver of dues as per the extant guidelines of the Ministry of Textiles in respect of the Societies and financing for the individuals should be followed meticulously . • The disposal of all pending applications for issuance of WCC to eligible weavers, as per norms should be ensured so as to achieve the set targets of 70000 in the State. • There is an urgent need for –NIL- pendency of loan applications,

		achievement of set targets, lodgment of claims with NABARD and its settlement.
5	Achievement of targets under Annual Action Plan 2013-14	• Achievement of all set targets (sector wise) be ensured. • All Banks viz.- PSBs (including RRBs), Private Sector Banks & Cooperatives have to achieve their set targets of disbursement. • Actual reporting of the Achievements. • While reporting the District wise performance under ACP, LDMs to collect the data of all Banks for consolidation.
6	Credit Deposit Ratio (CDR)	• The Inter Bank Deposits to be excluded while calculating the CDR. • The CDR in respect of -12- Districts belonging to -6- Banks to increase it by 3% points up to March 2014 over March 2013 level should be closely monitored by the concerned LDMs and the State Head of respective Lead Banks. • The CDR in respect of -23- Districts having less than 40% needs to be monitored by the concerned LDM and the State Head of respective Lead Bank. • All Banks in the District(s) should report their correct and consistent data to LDMs for true reflection of the District wise data. • The District Level Sub-Committee Meetings of DCC constituted for the purpose should be convened quarterly. • The correct classification of advances outstanding under Agriculture, SME, OPS, Weaker Section and Minority Communities. • The Advances made to the units in the State by the Bank branches from outside State should be correctly reflected as per RBI Guidelines in vogue. • The Sub Committee on CDR constituted under the convenership of GM, UBI to prepare and submit the quarterly progress report of the Sub-Committee to SLBC for presentation during the Meetings.
7	Scheme of Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI)	• Timely reporting of correct and consistent data by all Banks in -28- identified Districts to the LDMs concerned on various parameters of NABRD Sub Plan. • LDMs of all -28- identified Districts under the Scheme to submit the quarterly data to GM, UBI – the convener of Sub-committee of SLBC (UP) for consolidation and reflection of the progress. • The Sub Committee of SLBC (UP) constituted under the convenership of General Manger, Union Bank of India to prepare and submit the quarterly progress report of the Sub-Committee to SLBC for presentation during the Meetings.
8	Kisan Credit Card (KCC) Personal Accident Insurance Scheme (PAIS) Rashtriya Krishi Bima Yojana (RKBY)	• All eligible but left out farmers to be issued KCC as per the revised guidelines of GoI. • Ensure saturation of all Districts of the State. • To provide Rupay Cards to all eligible KCC holders. • To provide Credit as per revised Scale of Finance. • The data pertaining to Fresh Issued, Renewed and the outstanding cards (i.e. the Cards which are operational by the beneficiaries) should be properly reported. • The Reconciliation Certificate jointly signed by DAO and LDM regarding – NIL- application pendency to be obtained. • All beneficiaries of KCC MUST be covered under the PAIS as it is compulsory as per GoI guidelines. • There are -3- Schemes in existence in our State viz. RKBY, WBCIS (10 Districts) and MNAIS (4 Districts) for coverage of Farmers' crops and these -3- schemes are compulsory for all loanee farmers. • Branches/ Banks to ensure that all loanee farmers are covered by insurance as

		per prescribed time schedule without fail and the premium is remitted to respective Insurance Agency with full details.
9	Recovery of Bank dues	• Online lodgment of all RCs at District Level by the LDMs and reconciliation thereof. • Banks to attend the Monthly Recovery Meetings convened by ADM (F & R) at District level and Board of Revenue at State level as per DIF communication dated 22nd October 2013. • To ensure organizing "Recovery Camps" in Districts jointly with State Nodal Agencies of various sponsored programmes to speed up Recovery under these schemes.
1	Financing to Minority Community	• Correct classification of Advances granted to Members of Minority Community. • To ensure achievement of Target of 15% advances to Minorities of Total Priority Sector outstanding as per 15 Point Programme of Prime Minister. • The correct reporting of category wise data in respect of whole State as well as -21- identified Districts of the State.
1	Financing to Self Help Group	• To minimize the gap of SHGs formed, graded and Credit linked. • To report the progress made in respect of -8- Districts where Special programme through Anchor NGOs is operational. • To ensure that all SHGs of SGSY, RGMVP, UPLDC, UPDASP and other schemes are properly reported in the progress of the Bank.
1	Setting up of RSETIs in all Districts of the State	• Punjab National Bank, Syndicate Bank and Bank of India should establish RSETIs in their left out Districts viz. Badaun, Jhansi & Prabudh Nagar; Panchsheel Nagar & Bhim Nagar and Lucknow respectively. • Lead Banks of -65- Districts where State Govt. has allocated free of cost land, should complete the formalities of MoU and lease Deed so as to start the process of construction of RSETI Building at the earliest. • Lead Bank of remaining -10- Districts should follow up with the State Govt. for Land Allotment. • The Sub-committee on RSETIs constituted under convenership of Punjab National Bank should submit the quarterly progress report of the Sub-committee to SLBC for presentation during the Meetings. • Regular Meetings of the Sub-committee to be held. • Specific issues should be taken up by the Banks with DIF and Commissioner, Rural Development for early resolution.
1	Achievement of set Targets under various Govt. Sponsored Schemes	• All set targets under different Govt. sponsored schemes viz. PMEGP, SJSRY, Saghan Mini Dairy Pariyojna , Special Component Plan, Mukhya Mantri Margin Money Scheme etc. should be achieved in time. • All pending applications need to be disposed off immediately

SLBC (UP)
Bank of Baroda
Lucknow

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 16.12.2013

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri P Srinivas	022- 66985888
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Nirmesh Kumar	0522-6677607
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Arun Pasricha	9415015471
4				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328
5				Asstt. Gen. Manager	Shri D.C. Soni	8004921329
6				Asstt. Gen. Manager	Shri Gopal Prasad	9984811113
7	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Shri P Behera	9532038074
8				Asstt. General Manager	Ms Suparna Tandon	8601530473
9	SIDBI, Lucknow	State In-charge/ Dy. Managing Director	No	Dy. General Manager	Shri H R Asthana	9919001861
10	State Bank of India. Lucknow	Chief Gen. Manager	No	Dy. General Manager	Shri V.S. Negi	8005493150
11		Gen. Manager	No	Asstt. General Manager	Shri B N Tandon	7408433889
12				Chief Manager (RRB & Lead Bank)	Shri R. K. Srivastava	8005491073
13	Punjab National Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Y P Barar	8853544555
14				Dy. General Manager	Shri P N Mathur	8173000300
15	Allahabad Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Ram Khelawan	9452258007
16	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri B.P. Dimri	9839034457
17				General Manager	Shri H K Behera	9918301580
18				Senior Manager	Shri Moti Lal	9918702102
19	Canara Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager / State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri S. K. Chaudhry	9936406606

20				Divisional Manager	Shri Amar Nath Mondal	9565678880
21				Divisional Manager	Shri N K Behera	9557225522
22	Syndicate Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Kamal Bhola	8052111181
23	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager/ Zonal Manager	Shri M. K. Gupta	9839013933
24				Senior Manager	Shri Dinesh Kukreti	9557717535
25	Central Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Ajay Vyas	9918002199
26				Asstt. General Manager	Shri M S Bisht	
27					Shri Amit Kumar Pandit	9628722111
28	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Vinay Verma	9793205559
29	Bank of Maharashtra, Lucknow	Asstt. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri P C Verma	9936873777
	Corporation Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No			
30	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Ms Achal Gupta	9721459300
31				Manager	Shiv Sagar Chaurasia	8726642777
32	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager/ State Head	Shri. A. K. Bajpai	9839016070
33				Manager	Shri Jalendra Singh	9598059588
34	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State Head	Yes	DGM/ Chief Regional Manager	Shri Ajay Kumar Raizada	9839010168
35				Senior Manager	Shri Anand Anal	8960626722
36	Oriental Bank of Commerce, Lko.	General Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri P S Hooda	9554966777
37				Asstt. General Manager	Shri Akhilesh Goyal	8853099002
38				Manager	Shri Bikram Bhuyan	9005977788
39	Punjab & Sind Bank, Lucknow	Zonal Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri G. S. Narang	9839066415

	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No			
40	State Bank of Hyderabad. New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Dy. Manager	Shri Surya Prakash Gupta	8090834168
41	State Bank of Mysore, Lucknow	Senior Branch Manager	Yes	Branch Manager	Shri Sanjay Shukla	9889893331
42	State Bank of Patiala, Lucknow	Dy. General Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri P. K. Roy	9695686699
43				Manager	Shri Amit Kumar Sinha	9956283366
44	State Bank of Travancore, Lucknow	Chief Manager	Yes	Dy. Manager	Shri Surendra Kumar	8808055615
45	UCO Bank, Lucknow	General Manager	No	Dy. General Manager	Shri S. Satapathy	8687755066
46	United Bank of India, Lucknow	Chief Regional Manager	No	Dy. General Manager	Shri V K Babbar	9935011116
47	Vijaya Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri A.K. Das	9935057850
48				Senior Manager	Shri S Murmu	9532110797
49	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S Gaur	9415113553
50	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	No	General Manager	Shri J V Purohit	7388899750
51	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri K R Kanojia	8765956232
52	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700
53	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri. B. K. Pandit	9837036728
54	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Rakesh Gupta	9415210544
55	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	General Manager	Shri N K Mittal	9557744700
56	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank	Chief General Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Govind Kumar	7408407390
57	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	General Manager	Shri Shiva Ji	9415560586
58				Asstt. General Manager	Shri Harsh Gupta	9450002055
59	Axis Bank, Lucknow	Circle Head	Yes	Dy. Vice President	Shri Jeetandra Singh Rawat	7408811222

60				Asstt. Vice President	Shri Gautam Iyer	9198085555
61				Asstt. Vice President	Shri Ankur Pandey	9919002664
62	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	AVP & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290
63	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Manager	Shri Vikas Mathur	9792346111
64				Regional Relationship Manager	Shri Misha Dua	8953990809
65	IDBI Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Regional Coordinator	Shri Gyanendra Kr. Chaudhari	9559308787
	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No			
	ING Vysya Bank Ltd, Lucknow	Branch Head	No			
66	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri Biju .K. Philip	9839222575
67	Kotak Mahindra Bank, Mumbai	State Head	Yes	Asstt. Vice President	Shri Pushkin Mehrotra	9838078384
68	Federal Bank, Lucknow	Chief Manager	Yes	Chief Manager	Shri. Joy K.O.	7275488057
69	J&K Bank, Gurgaon	Asstt. Gen. Manager	No	Senior Executive	Shri Amit Bhushan	9455061708
70	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	Yes	Asso. Vice President	Shri S.C. Joshi	8009241100
71	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Rakesh Raja	8577866733
	Govt. of U.P.	Chief Secretary	No			
	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	No			
	Agriculture	Principal Secretary, GoUP	No			
	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No			
72	Institutional Finance	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, IF	Shri R M Srivastava, IAS	9454417401
	Industries & Export Promotion	Principal Secretary, GoUP	No			
	Dairy Development	Principal Secretary, GoUP	No			

	Khadi & Village Industry Board	Principal Secretary, GoUP	No			
	Social Welfare	Principal Secretary, GoUP	No			
	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No			
73	MSME	Secretary, GoUP	No	Special Secretary, MSME	Shri V K Dubey	9454411670
74	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Secretary	Shri L Venkateshwar Lu, IAS	9415409983
75				Dy. Commissioner	Shri Chandra Shekher	9453415258
76				Officer	Shri Ram Narayan	9454405331
77	Industries	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Director	Shri S Shukla	9415054007
78	Rural Development	Commissioner, GoUP	No	Jt. Mission Director, UPSRLM	Dr. Farid Rizvi	9415169226
79				Jt. Commissioner	Shri J P Rastogi	9456887989
80				Special Secretary	Shri Ashok Kumar	9454413811
81				State Project Manager -FI	Shri Om Prakash Chaturvedi	9565230534
	State Urban Development Agency	Director	No			
82	U.P. Bhumi Sudhar Nigam Ltd.	Managing Director	No	Executive (Credit)	Shri Anil Kumar Chandel	9450095722
83				Sr.Manager	Shri Atul Kumar	9415086119
	U.P. Minorities Fin. & Dev. Corp.	Managing Director	No			
	National Commission for SCs, GoI	Director	No			
84	U.P. SC/ST Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri V C Srivastava, IAS	9415327134
	U.P Backward classes Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	No			
85	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director	Yes	Director	Shri Shiv Singh Yadav	
86		Addl. Director	Yes	Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102888

87				Asstt. Director	Dr Suman Srivastava	0522-4026354
88				Dy. Director	Shri A P Tiwari	9415173813
89				ARO	Shri Vivek Anand	9808913076
	Agriculture	Director	No			
90	Agriculture (Statistics)	Director	No	Jt. Director	Shri R K Gupta	9235629339
91	National Horticulture Board	Director	No	Sr. Horticulture Officer	Shri I N Sahai	0522-2202420
92	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	No	Asstt. Director	Shri V. P. Gupta	9415059359
93				Superintendent	Shri Subodh Kumar	0522- 2310378
94	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	9839959915
95	Saghan Mini Dairy Pariyojana	General Manager	Yes	General Manager	Dr. Mohan Swaroop	9450004476
96	Police Headquarter	Director General	No	Addll. S P (Crime)	Shri. Ramesh	9454401146
97	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director (Accounts)	Shri R B Verma	
98	National Housing Bank	Regional Manager	No	Dy. Manager	Shri Saurabh Singh	9415511011
	Ministry of Finance, GoI	Director (CP & MF)	No			
99	Ministry of MSME, GoI	Director	No	Asstt. Director	Shri V K Bhatt	2295072
	Ministry of Rural Development	State Project Co-ordinator	No			
	LIC of India	Regional Manager	No			
	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No			
	United India Insurance Co. Ltd.	Nodal Officer	No			
	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No			
	New India Insurance Co.Ltd.	Regional Manager	No			

100	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Rampal S Rawat	8935030301
101				Asstt. Manager	Shri Tarun Kr. Singh	9044445266
	GOI	NIC				
	Special Invitee					
	Food & Civil Supplies	Food Commissioner	No			
102	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Principal Secretary	Shri Yogesh Kumar	0522-2239387
103	Planning	Principal Secretary, GoUP	No	Director	Shri Chandan Singh	9559694060
104				Asstt. Project officer	Shri Rakesh Saxena	9454468910
	Cooperatives	Principal Secretary, GoUP	No			
105	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri P K Agarwal	9452239093
106				Section Officer	Shri Rajeev Srivastava	8005494256
	Panchayati Raj	Director	No			
107				Dy. Gen. Manager	Shri R K Awasthi	9919908444
108				Dy. Gen. Manager	Shri A K Singla	9839112344
109				Asstt.Gen. Manager	Shri B R Patel	0522-6677722
110				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721
111				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483
112				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730
113				Manager	Ms Silk Smita	0522-6677694
114				SWO	Ms Preeti Arya	0522-6677726
115				SWO	Ms Anjali Singh	0522-6677726